किस्म मुकदमा –अन्तर्गत धारा 131-136 भू.राजस्व अधिनियम प्रकरण सं.06/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
07.05.2026	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित । पैरोकार सरकार उपस्थित । प्रकरण मे संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131-136 भू.राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर ग्राम मालोला तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी नं.1664/626 रकबा 1.7324 हेक्टेयर भूमि का प्रार्थी के मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम किया जाने बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम संशोधन किये जाने बावत् निवेदन किया। राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार "भूअभिलेख अधिकारी को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या अन्य रजिस्टरों में लिपिकीय त्रुटियों)clerical errors) को सुधारने का अधिकार देती है। यह धारा विशेष रूप से गलत प्रविष्टियों को ठीक करने के लिए है।" पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भू.राजस्व अधिनियम की धारा 131-136 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे मात्र मौके के आधार पर तरमीम संशोधन करवाना चाहता है , जो भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131-136 मे समाहित नही है। अत:प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131-136 भू.राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य नही ठहरता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131-136 भू.राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो। 7/5/26 उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	